कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – उनि/सशि/निशु/पापु/विविध/2019–20/18 दिनांक – 15/07/2019

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

विषय :– शैक्षिक सत्र 2019–20 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के समुचित वितरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) द्वारा ब्लॉकवार इस कार्यालय को प्रेषित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग विश्लेषण पश्चात समेकन कर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर को दिनांक 10.01.2019 को मुद्रण एवं वितरण बाबत प्रेषित कर दी गई थी। जिसकी सॉफ्ट कॉपी जरिए ईमेल प्रत्येक संबंधित कार्यालय को दिनांक 16.01.2019 को जांच उपरान्त संशोधन (यदि हो तो) बाबत प्रेषित की गई थी। तद्नुसार प्राप्त 22 जिलों से प्राप्त संशोधित मांग राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर को दिनांक 17.03.2019 को भेजी गई थी।

यह ध्यान में लाया गया है कि अनेक जिलों द्वारा ऑफलाईन प्रेषित मांग में कई ब्लॉक/विद्यालयों की मांग शून्य मानते हुए अथवा प्रेषित नही की गई थी। जिन संस्था प्रधानों द्वारा नामांकन को ध्यान में नहीं रखते हुए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग शून्य प्रेषित की गई अथवा प्रेषित ही नही की गई, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित किए जाएं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आप द्वारा प्राप्त शैक्षिक सत्र 2018–19 के नामांकन में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग प्रेषित की गई थी। यदि किसी विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की कमी है तो कहीं आधिक्य भी अवश्य होगा। ऐसी स्थिति में जिला स्तर पर उचित प्रबोधन करते हुए नोडल से नोडल निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का आदान प्रदान किया जाए, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहे।

प्रत्येक नोडल विद्यालय/विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त/वितरित करने के साथ ही शालादर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मॉड्यूल मे उनकी ऑनलाईन फीडिंग आवश्यक रूप से करेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. निजी सचिव, श्रीमान सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
3. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक
समाज शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर